भोपाल का मास्टर प्लान डेढ़ साल से तैयार : विजयवर्गीय

विभाग की अनुदान मांगों के जवाब में नगरीय विकास मंत्री ने दी जानकारी, भोपाल में सचिवालय के पास बनेगा सेंट्रल विस्टा

▸ मंत्री के जवाब के बाद विभाग की अनुदान मांगें पारित

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 24 फरवरी. प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजवर्गीय ने कहा है कि भोपाल का मास्टर प्लान विभाग ने डेढ़ साल पहले ही बनाकर पूरा कर रखा है और मास्टर प्लान तैयार है. मुख्यमंत्री उसको देखकर जारी करेंगे, यह मुख्यमंत्री का अधिकार है, हमारा मास्टर प्लान तैयार है.

यह बात उन्होंने विभाग की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का

जवाब देते हुए कही. मंत्री के जवाब के बाद विभाग से संबंधित अनुदान मांगों को पारित कर दिया गया. इससे पहले विभाग की अनुदान मांगों पर तीन घंटे से भी अधिक समय तक चर्चा चली. चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन बनाया जा रहा है, मेरी मुख्यमंत्री जी से तीन-चार बार बात हुई है. मेट्रोपॉलिटिन एरिया बनाया है तो हमें रि-कंसीडर करना पड़ेगा.

वे देख लें, यदि कहेंगे कि इसे फिर से बनाना है तो फिर हम इसे नये सिरे से ड्रॉफ्ट करेंगे. मुख्यमंत्री के साथ बैठकर फिर इस पर विचार करेंगे. उन्होंने भरोसा दिलाया कि भोपाल, इंदौर की तरह ग्वालियर और जबलपुर में भी मेट्रोपॉलिटिन एरिया बनेगा. इस दिशा में काम चल रहा है. मंत्री ने बताया कि रिडेन्सीफिकेशन के लिए भोपाल में अभी सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं, यह बहुत बड़ा सेंटर होगा. हमारा जो पुराना सचिवालय है, उसके आसपास की दोनों बिल्डिंग है, इसे हम ग्रीन बिल्डिंग बनाने वाले हैं. इसमें भी हम सारी गतिविधियों वो सभी प्लानिंग जो हमने इंटीग्रेटेड टाउनशिप के बारे में सोचा है उसको हम एप्लाय करने की कोशिश करेंगे. जो कि आर्थिक ग्रोथ सेंटर जो हमारी कल्पना है कि हर शहर आर्थिक ग्रोथ सेंटर बने, एक इकोनॉमिक इंजन बने, वह इंजन बनाने की हमने प्लानिंग की है. 2 हजार वर्गफीट के नक्शे अब 24 घंटे के भीतर परमिशन दे देंगे.

टैक्स बढ़ाने से लोग नाराज नहीं होते

जवाब के दौरान विजयवर्गीय ने कहा कि मैं नगर निगमों को कहता हूं कि आप प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाईये, आप पानी की टैक्स बढ़ाईये, पता नहीं लोग क्यों डरते हैं. जब मैं इंदौर का मेयर था, तब दो बार टैक्स बढ़ाया, उसके बाद भी विधानसभा में 25 फीसदी से ज्यादा वोटों से जीता. पहले 28 हजार और फिर 43 हजार वोटों से जीता, तो टैक्स बढ़ाने से लोग नाराज नहीं होते, काम नहीं करने से लोग नाराज होते हैं. आप टैक्स बढ़ाईये, काम करिये, लोगों को सुविधाएं दीजिए. पता नहीं लोग क्यों डरते हैं.

ओमप्रकाश सखलेचा के सवालों के भी दिए जवाब

ओमप्रकाश सखलेचा की बातों का जवाब देते हुए मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि उनकी एक बात जंची, हम तो आने-जाने वाले लोग हैं, पता नहीं 5 साल बाद यहां रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आप भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे. 5 साल बाद वह लोग अभी वहां बैठे हैं, वह भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे. यह डेमोक्रेसी में किसी का भरोसा नहीं है. इस पर मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने कहा कि आपको वर्ष 2047 तक रहना है.

सिंगरौली-सीधी को मिली नियमित कनेक्टिविटी : सीएम

भोपाल, 24 फरवरी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार की शाम भोपाल के मुख्य रेलवे स्टेशन से भोपाल-धनबाद-चौपन एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सिंगरौली-सीधी क्षेत्र लंबे समय तक रेल संपर्क के मामले में पिछड़ा रहा था.

जबकि यह ऊर्जा संसाधनों से समृद्ध इलाका है. अब नई ट्रेन सेवा से यहां के लोगों को नियमित आवागमन की सुविधा मिलेगी. उन्होंने कहा कि यह केवल ट्रेन की शुरुआत नहीं, बल्कि क्षेत्र के विकास का नया मार्ग है. मध्यप्रदेश, झारखंड और पूर्वी भारत के बीच सीधा संपर्क मजबूत होगा, जिससे व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.

सांसद बोले- रेल देश की जीवनरेखा: सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि रेल देश की जीवनरेखा है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी और पूर्व से पश्चिम तक नागरिकों को जोड़ती है. सप्ताह में अलग-अलग दिनों में संचालन से यात्रियों को लगभग प्रतिदिन यात्रा का विकल्प मिलेगा. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे के आधुनिकीकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश को पहले की तुलना में कई गुना अधिक रेल बजट मिला है.

3 दिन तक पड़ा रहा तेंदुए का शव

वन विभाग को नहीं लगी भनक

ग्रामीणों द्वारा जानकारी देने के 24 घंटे बाद मौके पर पहुंचा वन अमला

सलामतपुर, 24 फरवरी.सांची जनपद के अंतर्गत आने वाले गीदगढ़ गांव की बंद पड़ी गौशाला में 3 दिन पुराना तेंदुए का शव मिला है. इस मामले में वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है. ग्रामीणों ने बताया कि तेंदुआ 3 दिन से गौशाला में मरा पड़ा रहा और विभाग को इसकी भनक तक नही लगी. सूचना देने के बाद भी विभाग के कर्मचारी 24 घंटे बाद मौके पर पहुंची.

गौरतलब है कि शव से तेज बदबू आने पर ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची. तेंदुए की मौत का कारण अभी अज्ञात है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसका खुलासा हो सकेगा.

अब तक 30 मवेशियों पर हो चुके हैं हमले

पश्चिम वन क्षेत्र के ग्राम कायमपुर, नरखेड़ा, कुल्हाड़िया, गीदगढ़ और सत्ती गांव सहित आसपास क्षेत्र में तेंदुओं के बढ़ते आतंक से भी ग्रामीण परेशान और भयभीत हैं. गांव में तेंदुए लगातार मवेशियों को अपना शिकार बना रहे हैं. पिछले एक साल में तेंदुए अब तक 30 मवेशियों पर हमला कर चुके हैं. कुछ दिन पूर्व भी एक ग्रामीण के घर के पीछे बंधे गाय के बछड़े पर तेंदुए ने हमला किया था. यह घटना रात करीब 2 बजे की थी. तेंदुए के हमले से बछड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया था और जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करते हुए उसकी मौत हो गई थी. यह दूसरी बार था जब उनके मवेशी पर तेंदुआ ने हमला किया. गांव के लोग तेंदुए के डर से रातों में बाहर निकलने से डरते हैं. एक साल से तेंदुओं के हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और मवेशियों को बचाया जा सके.

एसडीएम जनसुनवाई में समस्याओं का निराकरण

बैरसिया, 24 फरवरी. मंगलवार को खंड स्तरीय जनसुनवाई तहसील कार्यालय के सभागार मेंहुई. इसमें 12 आवेदकों ने अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु एसडीएम आशुतोष शर्मा ने गुहार लगाई.

इनमे तीन का एसडीएम ने मौके पर ही निराकरण किया. अन्य आवेदनों को संबधित विभागों को भेज समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए. वार्ड 18 निवासी खालिद खान ने जनसुनवाई में आवेदन दिया. खालिद खान का कहना है कि राशन पर्ची जारी कराने के लिए परेशान थे. उन्होंने खाद्य नागरिक आपूर्ति अधिकारी कार्यालय के कई चक्कर लगाए. फिर भी उनकी राशन पर्ची जारी नही हुई. इस बार खालिद खान जनसुनवाई में पहुंचे. वहां कनिष्ठ खाद्य अधिकारी ने उन्हें गेट पर रोक राशन पर्ची जनरेट करने व राशन दिलाने का आश्वासन देकर समस्या समाधान कर दिया. जनसुनवाई में तहसीलदार दीपक चौरसिया, अतिरिक्त तहसीलदार भूपेंद्र केलासिया एव नायब तहसीलदार मिट्ठूलाल पंवार सहित अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे.

दोपहर एक से तीन बजे तक स्थगित रही कार्यवाही

राहुल गांधी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने विपक्ष ने किया था आग्रह

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 24 फरवरी. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक दिनी राजधानी दौरे का असर मंगलवार को विधानसभा में भी दिखा, जब अध्यक्ष ने विपक्ष के आग्रह पर सदन की कार्यवाही को दोपहर एक से तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी.

सदन में नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा की शुरुआत होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने सदस्यों को सूचना दी कि लॉबी में भोजन की व्यवस्था की गइ है, सदस्य अपनी सुविधानुसार भोजन ग्रहण कर सकते हैं. उसके बाद उन्होंने अनुदान की मांगों पर सत्ता पक्ष की ओर से चर्चा की शुरुआत करने के लिए आशीष गोविन्द शर्मा का नाम पुकारा. उसके बाद शर्मा ने अपनी बात रखना ही शुरू किया था, तब विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दिया. दरअसल राहुल गांधी के किसान चौपाल में हिस्सा लेने के लिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित कई सदस्य पहले ही सदन में नहीं थे. जो सदस्य थे, वे भी चौपाल में हिस्सा लेने जाना चाहते थे और बाद में नगरीय विकास विभाग की अनुदान मांगों की चर्चा में हिस्सा भी लेने जाना चाहते थे. उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर से उनके कक्ष में इस संबंध में चर्चा की और सदन की कार्यवाही को दोपहर में स्थगित रखने का अनुरोध किया. अध्यक्ष ने भी पूरी सद्भावना दिखाते हुए दो घंटे के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी, उसके बाद विपक्षी सदस्य कांग्रेस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए निकल गए.

सदन में आज ही कबूतर क्यों आया

भोपाल. सदन में मंगलवार को प्रश्नकाल से लेकर नगरीय विकास विभाग की अनुदान मांगों चर्चा की अवधि तक पूरे समय एक कबूतर डोम के भीतर उड़ता रहा. वह इधर-उधर उड़ते हुए लाइटों के लिए बने उपरी डोम पर जाकर लगातार बैठते रहा. सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष के सदस्यों का ध्यान ये पूरे समय अपनी ओर खींचते रहा. आखिरकार नगरीय विकास विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान इस कबूतर पर भी सदन में चर्चा शुरू हो गई. कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह ने सदन का ध्यान खींचते हुए कहा कि हम जो कह रहे थे कि यहां जो सदन में जो कबूतर उड़ रहा है, वह भी हमें कुछ सिखाने के लिए आया है. हमें तो पशु-पक्षियों तक से सीखना चाहिए. सीखने में क्या हर्ज है.

भगौरिया को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाएंगे

▸ सदन में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की घोषणा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 24 फरवरी. मप्र में भगौरिया पर्व को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाएगा. यह घोषणा सदन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की. उन्होंने कहा कि मालवांचल के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में फाग पत्र के रूप में मशहूर भगौरिया लोकात्सव को सरकार ने राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का निर्णय लिया है.

जनजातीय बहुल बड़वानी, धार और झाबुआ दो सेक्टर्स में सरकार कृषि कैबिनेट करने की तैयारी भी कर रही है. जिससे कि सामाजिक उत्सव को प्रोत्साहन के साथ इस अंचल और यहां के निवासियों के विकास में मप्र सरकार की प्रतिबद्धता भी दिखाई दे. उन्होंने आज से शुरू हुई भगौरिया लोकपर्व की बधाई भी दी.

सरपंचों को समय पर नहीं मिल रहा मानदेय

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, प्रदेश में सरपंचों को समय पर मानदेय नहीं मिलने का मामला प्रश्नकाल में प्रमुखता से उठा. कांग्रेस सदस्य मुकेश मल्होत्रा ने कहा कि प्रदेश में 23 हजार से अधिक सरपंच और 4 लाख से अधिक वार्ड पंच हैं, लेकिन उनको समय पर मानदेय नहीं मिल रहा है.

▸ प्रश्नकाल में उठा मामला

सरपंचों को अब तक महज 14-15 माह का ही मानदेय दिया गया है, वहीं पंचों को तो इस कार्यकाल में एक पैसा नहीं दिया गया है. इस पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि सरपंच और पंच का चुनाव उनकी स्वेच्छा से समाज सेवा के लिए होता है. आजीविका अर्जन के लिए नहीं. उन्होंने कहा कि मानीदेय का भुगतान किया जा रहा है. सरपंचों को वर्तमान में रुपए 4250 रुपए प्रतिमाह और पंचों को 300 रुपए प्रति मासिक बैठक के मान से अधिकतक 1800 रुपए वार्षिक देने का प्रावधान है. उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल मानदेय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. इस पर सदस्य मल्होत्रा ने मौजूदा दौर में इस मानदेय को नाकाफी बताया और कहा कि मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि जब वे सरपंच थे, तब दो साल का कार्यकाल पूरा किया, लेकिन मात्र 4 माह का ही मानदेय दिया गया. अभी उनका बेटा सरपंच है, लेकिन उसका भी मानदेय रूका हुआ है. इस पर मंत्री ने इसे दिखवाने का भरोसा दिलाया.

शिक्षक संघ ने आदेश बदलने की मांग की

बैरसिया, 24 फरवरी. लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी प्राचार्यों को आदेश देते हुए कहा कि अतिथि शिक्षक एक सप्ताह से अधिक स्कूल से अनुपस्थित रहता है, तो उसे तत्काल स्कूल पोर्टल से रिलीव कर दिया जाए.

संचालनालय के इस आदेश से अतिथि शिक्षकों में खलबली मच गई है. वे अपर संचालक के आदेश को तुगलकी फरमान बता रहे हैं. इधर मप्र.शिक्षक संघ के तहसील अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला ने कहा कि अतिथि शिक्षक भी अन्य शिक्षकों की

तरह बराबर काम करते हैं.अतिथि शिक्षक भी इंसान हैं, मशीन नहीं . वे भी बीमार हो सकते हैं. किसी अतिथि शिक्षक का एक्सीडेंट हो जाए या परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए तो क्या उन्हें स्कूल से बाहर कर देना उचित है.

डिमांड नोटिस

जबकि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (नीचे बताए गए ट्रस्टों के लिए ट्रस्टी के तौर पर काम करते हुए) (जिसे इसके बाद "ARCIL" कहा जाएगा) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत रजिस्टर्ड है और सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (जिसे इसके बाद "SARFAESI एक्ट" कहा जाएगा) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है और जबकि नीचे दिए गए चार्ट के कॉलम नंबर 2 में बताए गए कर्जदार/सह-कर्जदारों ने IIFL-होम फाइनेंस लिमिटेड, जो मूल कर्जदाता हैं, [illegible] ARCIL SARFAESI [illegible] Arcil Trust 2026 015

देनदार/गारंटर का नाम	डिमांड नोटिस तिथि	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)
श्री कमलेश कुमार कश्यप, श्रीमती हेमलता कश्यप, शंकर किराना स्टोर एवं कंप्यूटर वर्क (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल11046846)	06-जनवरी-2026, रु. 1337323.72/- (रु. तेरह लाख सैंतीस हजार तीन सौ तेईस और पैसा बहत्तर मात्र)	संपत्ति का वह भाग- प्लॉट नं. 85, [illegible] कॉलोनी, खसरा नं. 126/1 और अन्य, [illegible] तहसील और जिला सागर, मध्य प्रदेश, [illegible] संपत्ति का प्रकार- क्षेत्रफल- 500 वर्ग फुट.
श्री परमलाल पटेल, मा [illegible] श्रीमती बबीता पटेल (प्रॉस्पेक्ट नं. आई11027894)	06-जनवरी-2026, रु. 2012731.23/- (रु. बीस लाख बारह हजार सात सौ इकतीस और पैसा तेईस मात्र)	संपत्ति का वह भाग- खसरा नं. 126/1, 125/5/1/2, 126/5/2, 126/6/1, 126/7/2, 126/11/1, 126/11/2, [illegible] तहसील और जिला-सागर [illegible] संपत्ति का प्रकार- क्षेत्रफल- 600 वर्ग फुट.

इसलिए, ऊपर बताए गए उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है, जिसमें उनसे कहा जाता है कि वे इस नोटिस के पब्लिकेशन के 60 दिनों के अंदर, संबंधित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के खिलाफ ऊपर दिखाई गई कुल बकाया राशि का पेमेंट करें. यदि संबंधित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता कुल बकाया राशि का पेमेंट आगे के ब्याज के साथ करने में विफल रहते हैं, तो ARCIL ऊपर बताई गई प्रॉपर्टी पर सिक्योरिटी इंटरेस्ट को लागू करने के लिए धारा 13(4) के तहत कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगा, अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार अन्य तरीकों से नोटिस देने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। आपको सूचित किया जाता है कि SARFAESI अधिनियम की धारा 13(8) में बताए अनुसार, सार्वजनिक नीलामी या बिक्री द्वारा ट्रांसफर के लिए निजी समझौते के नोटिस के पब्लिकेशन की तारीख से पहले किसी भी समय, Arcil द्वारा किए गए खर्चों, शुल्कों और व्ययों के साथ पूरी बकाया राशि का पेमेंट करके उक्त गिरवी को भुनाया जा सकता है.
ध्यान दें कि SARFAESI अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको इसके द्वारा सुरक्षित प्रॉपर्टी को किसी भी तरह से बिक्री, पट्टे या किसी अन्य तरीके से ट्रांसफर करने और/या उससे निपटने से रोका जाता है.

स्थान: भोपाल
दिनांक: 25-2-2026

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (ट्रस्टी के रूप में)

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड. सीआईएन क्रमांक-65999MH2002PLC134884
पंजीकृत कार्यालय: द रूबी, 10वीं मंजिल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400028. दूरभाष- +91 2266581300.
वेबसाइट- www.arcil.co.in

मध्यप्रदेश में मौसम में बदलाव का क्रम जारी

05 जिलों में अलर्ट जारी

मंगलवार को कई शहरों में दिन में तेज धूप रही

भोपाल, 24 फरवरी. मध्य प्रदेश में फरवरी माह में मौसम का मिजाज असामान्य बना हुआ है. दक्षिणी हिस्सों में बने कम दबाव के क्षेत्र और दो सक्रिय द्रोणिकाओं के असर से प्रदेश में चौथी बार बारिश का दौर शुरू हो गया है. मौसम विभाग ने बालाघाट, डिंडौरी, अनूपपुर, मंडला और सिवनी समेत पांच जिलों में वर्षा का अलर्ट जारी किया है.

सोमवार को कई शहरों में दिन में तेज धूप रही, लेकिन शाम होते-होते मौसम बदल गया. जबलपुर में धूल भरी आंधी और बूंदाबांदी दर्ज की गई, वहीं रीवा और सीधी में भी बारिश हुई. रात के समय ग्वालियर, मुरैना, सागर, दमोह और खरगोन सहित कई जिलों में गरज-चमक के साथ वर्षा हुई. इस बार फरवरी महीना सामान्य से अलग रहा है. महीने की शुरुआत में ही दो बार ओले और बारिश हुई थी, 18 फरवरी से तीसरा दौर सक्रिय रहा, और अब 23 फरवरी से चौथी बार बादलों ने दस्तक दी है. बारिश के कारण दिन का तापमान गिरा है, जबकि रात में ठंड में थोड़ी कमी आई है.

> पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री, मंदसौर में 11.7 डिग्री और राजगढ़ में 12.4 डिग्री दर्ज किया गया. भोपाल और इंदौर में मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन प्रदेश के अन्य हिस्सों में मौसम अस्थिर बना हुआ है. फरवरी के अंतिम दिनों में भी कहीं धूप, कहीं बादल और बारिश का मिश्रित प्रभाव जारी रहने का अनुमान है. किसान और आम लोग बारिश और तापमान के उतार-चढ़ाव के कारण मौसम के प्रति सतर्क बने हुए हैं.

राहुल के दौरे पर धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कसा तंज

भोपाल. संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने राहुल गांधी के भोपाल दौरे पर तंज कसा और उन्हें किसानों की समस्याओं और वास्तविक जीवन की समझ न रखने वाला बताया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 'चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं' और उनका जन्मदिन तक एयरप्लेन में मनाया जाता है. मंत्री ने आरोप लगाया कि उन्हें यह भी नहीं पता कि मप्र में कौन-कौन सी फसलें होती हैं और गेहूँ से आटा कैसे बनता है. लोधी ने कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जब कांग्रेस शासन में थी और दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, तब किसानों को 18 प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज दिया जाता था. इसके विपरीत, भाजपा सरकार ने किसानों के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज देने की सुविधा शुरू की है.

मिडवासा को मिली हरी झंडी

भोपाल,24 फरवरी. प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के प्रयासों से बहुप्रतीक्षित मिडवासा सिंचाई परियोजना को शासन द्वारा स्वीकृति दे दी गई है. कुल 300 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली इस परियोजना से सुरखी और नरयावली विधानसभा क्षेत्रों के लगभग 7200 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी.

परियोजना से फसलों की उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि होगी, वहीं क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही पानी की समस्या भी दूर होगी. मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र

के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है. परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश भी दिए जा चुके हैं. क्षेत्र के किसानों और जनप्रतिनिधियों ने परियोजना की स्वीकृति पर खुशी व्यक्त करते हुए मंत्री का आभार जताया.

कार्यालय कार्यपालन यंत्री नया वि./यां. संभाग, राजधानी परियोजना प्रशासन, भोपाल

ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, फोन- 0755-2463613

क्रमांक 99/व.ले.लि./25-26 दिनांक 11/2/2026

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदाएं मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग में उचित श्रेणी में पंजीकृत विद्युत ठेकेदारों (ठेकेदारों की श्रेणी कॉलम में उद्धृत अनुसार) से आमंत्रित की जाती हैं. उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है.

क्र.	एनआईटी क्रमांक	सिस्टम टेंडर नं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	ठेकेदारों की श्रेणी
1.	99/25-26 व.ले.लि. 11.2.2026	2026_ सी.पी.ए. _481912	गौतम नगर भोपाल संचालनालय कृषि इंजीनियरिंग में विद्युतीकरण एवं बाह्य लाइटिंग का कार्य.	रु. 805261	रु. 16105	रु. 2000	केंद्रीयकृत एकल पंजीयन प्रणाली में पंजीकृत निविदाकार 'अ' श्रेणी विद्युत लायसेंस धारक

1. उपरोक्त वेबसाइट से ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेंडर डॉक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा. 2. निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि 24/2/2026 सायं 5.30 बजे से 2/3/2026 सायं 5.30 बजे निर्धारित है. 3. विस्तृत एनआईटी एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखी जा सकती है.

कार्यपालन यंत्री
नया वि./यां. संभाग, राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल
मोबाइल क्र. 7869966403

G26304/25

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

(CIN-L65110TN2014PLC097792)

रजिस्टर्ड ऑफिस: केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031

फोन: +91 44 4564 4000, फैक्स: +91 44 4564 4022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
1.	148069093	संपत्ति के विरुद्ध ऋण	06.12.2025	रु. 10,13,788.56/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम:- 1. मनोज मेवाड़ा 2. पूजा मेवाड़ा

संपत्ति का पता: हाउस नंबर 152 का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, कुल एरिया 2968, गाइडलाइन के अनुसार गांव चंदेरी पीएच नं.. 36, सर्वे नंबर 91, वार्ड नंबर 46 पर स्थित है, तहसील- सीहोर, जिला- सीहोर, मध्य प्रदेश-466001, और इसकी सीमा- पूरब- लखन सिंह की खुली ज़मीन, पश्चिम- रास्ता, उत्तर- राजमल और सूरज का घर, दक्षिण-- रास्ता.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
2.	104076674	संपत्ति के विरुद्ध ऋण	06.12.2025	रु. 5,29,797.42/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम:- 1. राजमल वर्मा 2. बबली बाई वर्मा

संपत्ति का पता: वह सारा टुकड़ा और पार्सल मकान नंबर 12, 2625 वर्ग फुट का, झलकी गांव, तहसील- इछावर, पीएच नंबर 32, सीहोर, मध्य प्रदेश में स्थित है और उक्त संपत्ति इनसे घिरी है- उत्तर- गली, दक्षिण- ओम प्रकाश वर्मा का घर, पूर्व- सीसी रोड, पश्चिम- सीसी रोड और संतोष का घर.

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/-
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

दिनांक: 25.2.2026
स्थान: मध्यप्रदेश